CONFIDENTIAL
Not for publication

Con. No. 44
Vol. XLX

PROCEEDINGS OF THE SEVENTY-THIRD CONFERENCE OF PRESIDING OFFICERS OF LEGISLATIVE BODIES IN INDIA

HELD AT HARYANA VIDHAN SABHA, CHANDIGARH
ON
21ST & 22ND SEPTEMBER, 2008

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

OCTOBER, 2008

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा: माननीय सभापति जी और हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष जी, माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी, जो वर्तमान में संसदीय प्रणाली के स्तम्भ के स्वरूप में देश में हम लोगों के सामने उभरकर आये हैं। सबसे पहले मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अहम् विषय पर बोलने का अवसर दिया।

संसदीय लोकतंत्र के मूलभूत आधार हैं — अनुशासन और मर्यादा। संसदीय कार्य प्रणाली में शालीनतापूर्वक अपने विचारों को प्रकट करना तथा उसी प्रकार दूसरे के विचारों को सुनना अति आवश्यक है। संसद एवं विधान मंडल की कार्य प्रणाली हमारी व्यवस्था का आधार है तथा कार्य प्रणाली संचालन नियमावली के माध्यम से संसद एवं विधान मंडल अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं। परंतु अनेक अवसरों पर गाली-गलौज, हाथापाई की घटनाएं हमारे लोकतंत्र की इस प्रणाली को कलंकित करती हैं। जिसमें सभी विधायी परम्परा एवं मूल्य ध्वस्त हो जाते हैं। राजनीतिक दलों को यह अधिकार है कि वे संसद अथवा विधान मंडल को लोकहित में राष्ट्रीय संचार केन्द्र के रूप में प्रयोग करें, जहां से लोगों को इस बात की जानकारी मिल सके कि राजनीतिक दल तथा उनके प्रतिनिधि आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं और इन दलों को जो जनादेश मिला है उसका पालन वे किस प्रकार कर रहे हैं। प्रजातंत्र के स्थायित्व और उसके विकास के लिए सदस्यों में उत्तरदायित्व और आचरण के आत्म-अनुशासन की निरंतर आवश्यकता है। हमारी संसद और विधान मंडल में टाइम मैनेजमैन्ट के लिए रूल्स आफ प्रोसीड्यूर्स में प्रावधान हैं, जो आज की स्थितियों में हाउस आफ कामन्स, देश एवं विदेश के संसद तथा विधानमंडलों की कार्य प्रणाली के अनुरूप है। हम अपने रूल्स आफ प्रोसीड्यूर्स में बराबर सुधार भी करते रहे हैं तथा कामनवैल्थ पार्लियामैन्ट्री एसोसिएशन की बैठकों में एवं पीठासीन पदाधिकारियों की बैठकों में जो सर्वानुमति विचार उभर कर आते हैं, उन्हें सन्निहित भी किए गए हैं और करते रहे हैं, जिससे जन आकांक्षाएं विस्तार से माननीय सदस्यों द्वारा सदन में प्रतिबिम्बित हो सकें। हमने अपने रूल्स आफ प्रोसीड्यूर्स में प्रश्न काल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जीरो आवर, आधा घंटे का वाद-विवाद, ज्वलंत विषय पर विशेष वाद-विवाद, विशेष घटनाओं पर वाद-विवाद आदि का प्रावधान रखा है।

इसके साथ-साथ ''डिसिप्लीन एवं डेकोरम इन दि पार्लियामैन्ट एंड दि स्टेट लेजिस्लेचर'' के विषय पर दिनांक 23 एवं 24 सितम्बर, 1992 को दिल्ली में एवं 28 तथा 29 जून को इसी चंडीगढ़ में पीठासीन अधिकारियों की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए, जिसमें आचार समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया। पीठासीन अधिकारियों द्वारा सदन में इस प्रकार की हरकतों एवं गतिविधियों को प्रकाशित नहीं करने तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर नहीं दिखाने की हिदायत देने के बाद भी इसे प्रकाशित किया जाता है और दूरदर्शन पर दिखाया जाता है। जिससे कि अनुशासनहीनता की घटनाएं बढ़ रही हैं।

25 नवम्बर, 2001 को अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों, मुख्य मंत्रियों, संसदीय कार्य मंत्रियों, संसदीय नेताओं और सचेतकों की बैठक बुलाई गई थी। उक्त सम्मेलन में सदन के भीतर सदस्यों के आचार संहिता, बोलते समय पालनीय नियम आदि से आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों से निपटने के लिए प्रक्रिया तथा आचार संहिता के उल्लंघन पर दंड के नियम बनाये गये थे। लेकिन उन सब के बावजूद मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहां बिहार विधान सभा के नवम् सत्र में जो कार्यक्रम बनाये गये थे, उस पर सदन की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में दिनांक 24 जुलाई, 2008 को गंभीरतापूर्वक विचार किया गया था और उसकी अनुशंसाओं को सदन में सर्वसम्मति से पारित कराया गया था। उसके उपरान्त जब सदन में प्रश्न काल प्रारम्भ हुआ तो सदस्य नारे लगाने लगे कि ए॰पी॰एल॰ और बी॰पी॰एल॰ की सूची के निर्धारण की विसंगति से उत्पन्न राशन केरोसिन कूपन के वितरण की समस्या पर यह सदन विचार-विमर्श करे। जबकि सारत: समरूप विषय पर विगत सत्रों में विचार-विमर्श हो चुका था। आसन द्वारा बार-बार यह अनुरोध करने के बावजूद कि प्रश्नकाल के बाद यह मामला उठाएं, विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी और हल्ला कर सदन को अव्यवस्थित कर दिया गया तथा सदन नहीं चलने दिया।

25 नवम्बर, 2001 के सम्मेलन में आचार संहिता के उल्लंघन पर दंड के रूप में जिन छ: बिन्दुओं को अंकित किया गया है, जिसमें भर्त्सना, फटकार, निंदा, सभा से निकालना, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सभा की सेवा से निलम्बन तथा कोई अन्य दंड जो सभा द्वारा उचित समझा जाए, दंड के प्रावधान के संबंध में प्रक्रिया है, उसे और धारदार बनाने की आवश्यकता है। आज की परिस्थिति में इस बात की जरूरत है कि उसे कैसे अधिक धारदार बनाया जाए, जिससे कि हम अपने सदन को अनुशासित ढंग से चलाने में अपने आपको समर्थ रख सकें। इस संबंध में मेरा सुझाव होगा कि इसके लिए पीठासीन पदाधिकारियों की एक समिति का गठन किया जाए, जो दो-तीन महीनों में अपना प्रतिवेदन शीघ्रातिशीघ्र दे दे। इसके साथ ही यह समिति इस पर भी विचार करे कि सदन में माननीय सदस्यों द्वारा हल्ला करने, नारेबाजी करने, वैल एवं पीठासीन पदाधिकारियों के समीप आने तथा अशोभनीय हरकतों को प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित करने पर रोक लगाने हेतु कानून बनाने या वर्तमान में स्थित कानून में संशोधन करने पर विचार कर अपनी अनुशंसा दे।

महोदय, समय रहते हमें सचेत होना होगा। संसदीय लोकतंत्र के समक्ष उपस्थित इस चुनौतीपूर्ण भयावहता को बलहीन करने और समाप्त करने की दिशा में यदि हमने कठोर संकल्प नहीं लिया और ठोस तथा कारगर कदम नहीं उठाये तो आने वाला इतिहास हमें माफ नहीं करेगा तथा लोकतंत्र के भविष्य को संवारने में हम सफल नहीं हो पायेंगे। मैं आपका तथा सभी पीठासीन अधिकारियों का आभारी हूं, जिनके बीच मुझे अपने विचारों को रखने का मौका मिला और आशा है कि सदन में अनुशासन कायम करने के संदर्भ में यह कांफ्रेन्स निश्चित रूप से कोई कदम उठा सकेगी, जो देश के सभी विधानमंडलों में और संसद में पालनीय बन सकेगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा: माननीय अध्यक्ष महोदय और वर्तमान समय में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए रीढ़ के रूप में आदरणीय सोमनाथ चटर्जी जी, आदरणीय हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष रघुवीर साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है।

आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं, जो एक ग्लोबल प्रॉब्लम के साथ-साथ हमारे देश के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में उपस्थित है।

ग्लोबल टैरिज्म प्रॉब्लम के नाम पर चाहे, वह एशिया में, अमरीका में, अफ्रीका में हो या अन्य यूरोपियन कंट्रीज में हो, सभी जगह इस तरह की कोई न कोई घटना घटती रहती है। लेकिन हमारा देश इससे प्रभावित है। हमारे देश में दो प्रकार के आतंकवाद हैं—एक बाह्य और दूसरा घरेलू नक्सलवाद। हम दोनों से जूझ रहे हैं। जो बाह्य आतंकवाद है, उसके पास कोई नीति और सिद्धान्त नहीं है। हमारे देश में विध्वंसकारी तत्व हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हमारे संसाधनों को बर्बाद करना चाहते हैं, हमें नष्ट करना चाहते हैं, हमें नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। मैं प्रारम्भ में यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इस विषय पर चर्चा करते हुये हम लोगों का जो नजरिया है, उसे स्पष्ट करने की जरूरत है। जहां तक घरेलू नक्सलवाद का संबंध है, वे लोग एक सिद्धान्त को लेकर चलते हैं। वे मार्क्सीजम में विश्वास रखते हैं। इसलिये हमें दोनों के बीच में फर्क करके विचार करना चाहिये। जो हमारे देश का बाह्य आतंकवाद है, उससे देश की पृथक्कतावादी शक्तियों को मजबूती मिल रही है। जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में उल्फा या अन्य नामों से हैं। उत्तरी भारत में हिज्बुल या अन्य नामों से चर्चित हैं। परिणाम हम जानते हैं। हमारे संसद पर हमला किया गया। यह हमारी और हमारे कानून की कमजोरी रही है कि जिसने यह काम किया, उसे पकड़ने के बाद आज तक जो उसे सजा मिली, उसे नहीं दे पाये हैं और वह आर्डर इम्पलीमेंट नहीं हो पाया है। दूसरा, आजकल प्रतिदिन ऐसी घटनायें घटती रहती हैं। यह ठीक है कि हमारे पूर्व वक्ता गुजरात विधान सभा के अध्यक्ष ने इस बात का जिक्र किया। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करने के लिये पूरे देश में जाली नोटों का कारोबार किया गया है। इसका असर हमारे नौजवानों पर हो रहा है और वे दिग्भ्रमित किये जा रहे हैं और हमारे देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जा रहा है। इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिये जो कानून बने—पोटा, मकोका, टाडा—उन सब को एक प्रकार से नकार दिया गया। आज कांग्रेस पार्टी के एक नेता श्री वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में प्रशासनिक सुधार आयोग की एक कमेटी बनी। उसने भी सुझाव दिया है कि आतंकवाद से निपटने के लिये टाडा, मकोका और पोटा से भी सख्त कानून बनाये जाने की जरूरत है और उसे लागू किये जाने की भी जरूरत है। आज यहां बैठक हो रही है, इसलिए हम सब चाहेंगे कि उस आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिये जितने सख्त से सख्त कानून की जरूरत हो, उसकी अनुशंसा भारत सरकार को यहां से जानी चाहिये। यह बात ठीक है कि हम कानून बनाकर सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हमें अपने पर भी नियंत्रण रखना होगा।

हमारे संविधान निर्माताओं ने सब धर्मों को समान रूप से जो चाहे उसे मानने का अधिकार दिया है। कम्युनल हारमोनी की मान्यता है। क्षमा कीजियेगा, आज जो घटनायें घट रही हैं, चाहे वे उड़ीसा में हों, या कर्नाटक में हों या आन्ध्रा में हों या केरल में हों, इन सब घटनाओं ने देश को एक अच्छा संदेश नहीं दिया है। इससे आतंकवादी शक्तियों को काफी मजबूती मिलती है। हम उन शक्तियों पर कैसे नियंत्रण रख पायें, इसके बारे में हम सब को यहां गम्भीरता से विचार करना होगा। संविधान निर्माताओं ने जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना की थी, किसी भी हालत में उस धारा पर हम आक्षेप नहीं आने दें। इन्सान को इन्सान जैसा सम्मान मिले। आज जो नक्सलवाद है, हम जब ,देखते हैं कि आजादी के 60 साल बाद भी बेसिक जरूरतें—पीने का पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा उन गांव के गरीब लोगों को नहीं दे पाये हैं। दवा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। उसका परिणाम यह है कि एक अलग शक्ति के नाम पर संगठन बन गया है। क्या हम गांव के गरीब लोगों को बचा पायेंगे? कमजोर और गरीब लोगों को सामाजिक बराबरी का सम्मान नहीं दिया जाता है। इस परिस्थिति में हम जितनी मजबूती के साथ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा और आवास व्यवस्था के माध्यम से गांव के गरीब और कमजोर लोगों तक पहुंचा पायेंगे, उतनी जल्दी

हम नक्सलवाद पर नियंत्रण कर पायेंगे। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हम एक कमरे में बैठकर एक नीति बनाकर और उस संदर्भ में हथियार के सहारे उस पर नियंत्रित करना चाहते हैं हमारी सारी शक्ति, हमारे संसाधन हथियार के नाम पर लग जाते हैं और उसके संदर्भ में 60 साल के बाद भी समाज में जो गैर-बराबरी का दर्जा है, उसे दूर कर पाये हैं? हमारे यहां कानून बने हुये हैं जिसमें कहा गया है कि कानून सबके लिये बराबर होगा। चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का बेटा हो, उन सब की इज्जत एक समान है लेकिन व्यवहार में जब जायेंगे तो गांव स्तर पर देखने से ऐसा पता लगता है कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है, उसके लिए यह कानून लागू नहीं हो रहा है। इसका परिणाम यह है कि आज टी.वी., रेडियो के माध्यम से सबके हकों की बात की जा रही है लेकिन जब गांव का नौजवान इस बात को सुनता है, तो उसके अनुसार वह अपने आपको एक्ट करने लगता है। नतीजा यह होता है कि कहीं न कहीं यह द्वन्द्व पैदा हो रहा है और सामाजिक तौर पर गैर-बराबरी का आधार आगे बढ़ने लगता है। कहीं-कहीं धार्मिक दृष्टिकोण से गैर-बराबरी हो जाती है, जिसके कारण यह महसूस किया जाता है कि गांव का गरीब नौजवान जो समाज को अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है, उसके अंदर एक दूसरी धारणा पैदा हो जाती है।

इसके अलावा आज की जो पुलिस है, उनका प्रशिक्षण इस प्रकार का हो कि अगर कहीं पर एक घटना घटती है तो उसका सबसे पहला असर गांव के गरीब आदमी पर होता है और उसे मुद्दालय बना दिया जाता है। इसलिए जरूरत आज इस बात की है कि भारतीय पुलिस सेवा से जो नौजवान निकल रहे हैं, उन्हें विशेष तौर पर इस संदर्भ में प्रशिक्षण देना चाहिये। इस आशय का एक प्रस्ताव यहां से जाना चाहिये। हमारे देश के जो नागरिक हैं, चाहे अमीर हैं या गरीब हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है।

सबके लिए समान तौर पर और विशेष तौर से जो नौजवान समाज के अंतिम पायदान पर बैठा है उसके साथ एक अलग मानसिकता उसकी बनानी चाहिए जिससे वह सम्मान महसूस कर सके और अनावश्यक केसों में हम उसे न फंसाएं जिसके कारण उसके मन में कोई प्रतिशोध की भावना पैदा हो। दुनिया में हमारी जनसंख्या दूसरे स्थान पर है और सब जानते हैं कि हम अपने संसाधनों को मुश्किल से 15-20 प्रतिशत लोगों तक ही खर्च कर पाते हैं। हमारे देश के 80 प्रतिशत लोग देश के संसाधनों से वंचित हैं। लोगों को पीने का पानी नहीं है, भोजन नहीं है, लोगों के सिर पर छत नहीं है तो और चीजों के बारे में क्या कहा जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि क्षेत्रियतावाद की भावना जो उभरी है उसका भी असर है। जब देश आजाद हुआ था तो आजाद कराने वाले लोगों ने सैंकड़ों राजे-रजवाड़ों को बांधकर एक किया था। उस समय की जो भावना थी वह संसदीय लोकतंत्र कायम करने की थी। आज देश को संसदीय लोकतंत्र में जो बांधा गया है, वह बंधन कहीं न कहीं कमजोर पड़ रहा है, जिसके कारण नार्थ-ईस्ट अलग, उत्तर भारत अलग, दक्षिण और मध्य भारत अलग और बीच-बीच में राज्यों के बीच में भी कहीं किसी को भगाओ, कहीं किसी को भगाओ का नारा उठ रहा है। जब इस तरह की बातें हम देखते हैं तो लगता है कि यह सब आतंकवादी और नक्सलवादी गतिविधियों को मजबूत करने में एक कड़ी का काम कर रहा है। हम संसदीय लोकतंत्र में केवल वोट का ध्यान रखते हैं नीति, सिद्धांत और राष्ट्र को किनारे रखकर काम करते हैं यह भी इसका एक कारण है। जैसे ही हमारा उद्देश्य केवल हमारा देश होगा, जिसमें जाति, धर्म का सवाल नहीं रहेगा, तब शायद हम इसे लागू कर पाएंगे, अन्यथा हम इसे लागू नहीं कर पाएंगे।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि आंतरिक और बाह्य नक्सलवाद को अलग करके इस पर विचार किया जाए और आंतरिक नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण होना चाहिए और गरीबी उन्मूलन और देश का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक आजादी का स्वाद पहुंचाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें महसूस होना चाहिए कि यह देश उनका भी है और बाह्य आतंकवाद से सख्त कानून बनाकर हमें निपटना चाहिए। माननीय मोइली जी ने प्रशासनिक सुधार आयोग के माध्यम से जो अपना प्रस्ताव दिया है कि मकोका, पोटा और टाडा से अलग कानून बनाकर सख्ती से उस पर अमल किया जाए और इंसान को इंसान का दर्जा मिले, इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा: माननीय सह सभापति जी, आपने इतना अच्छा खाना खिला दिया है कि बोलने के पहले कुछ समय आराम करना चाहिए। आज की चर्चा का यह विषय है कि हम अपने डैमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में कैसे विश्वास पैदा करें।

जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के पहले हम गुलामी महसूस करते थे और कहते थे कि हमें मुक्ति चाहिए, आज़ाद भारत बनाना है। देश को आज़ाद कराने के बाद संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया। इसमें सोचा कि एक ऐसा समाज बनेगा जिस समाज में हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार मिलेगा। लेकिन साठ साल की आज़ादी के बाद ठीक विपरीत हो गया। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सैपरेशन ऑफ पावर में संसदीय लोकतंत्र को ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया, जिससे चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में अधिकार दिया कि वे राज चला सकें। चुने हुए प्रतिनिधियों का काम था सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थता करना, उनके विचारों को रखने का काम करना। लेकिन ठीक विपरीत यह हो गया कि जब हम चुनकर आए तो सबसे पहले संपत्ति पर अधिकार पाना हम जन-प्रतिनिधियों ने शुरू कर दिया, जिसका प्रतिबिम्ब दिखाई दिया पिछले लोक सभा के विश्वास मत प्राप्ति के समय सरकार को बचाने के लिए। प्रश्नों को पूछने के लिए हम पैसा अर्जित करने लगे, जिसका प्रतिबिम्ब भी दिखाई दिया। हम सोमनाथ चटर्जी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने आम जनता में थोड़ा विश्वास दिलाया। लोक सभा के 11 सदस्यों की सदस्यता उन्होंने समाप्त की। अभी लोक सभा में विश्वास मत पर बहस के दौरान जो एक करोड़ रुपया दिखाया गया, उसको इन्होंने कस्टडी में लिया। अब आप बताइए कि कैसे लोगों का विश्वास जन-प्रतिनिधियों के प्रति बढ़ेगा जब देश की सबसे बड़ी पंचायत लोक सभा का यह हाल है तो बाकी संस्थाओं और पंचायतों का क्या हाल होगा। मैं मानता हूं कि आज जनता का विश्वास लोकतंत्र में घट रहा है और उसमें सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधियों पर प्रभाव पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि जनता का विश्वास और आस्था लोकतांत्रिक संसद और विधानमंडल के प्रति बढ़े। इसके लिये सबसे पहले हमें अपना आचरण सुधारना होगा, जिससे देश के लोग उस आचरण का अनुसरण कर सकें। आज हमारा आचरण अनुकरणीय नहीं है। यहां लोग कहते हैं कि जब जनप्रतिनिधि लोक सभा या विधान सभा का चुनाव जीतकर आता है तो उसके परिवार की संख्या बढ़ जाती है, उसकी सम्पत्ति बढ़ जाती है। हम थोड़ा छुपे हुए शब्दों में कह रहे हैं कि तब हमारा चरित्र क्या होगा। जब हम चुनाव जीतकर आते हैं तो अपनी सम्पत्ति का विवरण चुनाव आयोग को देते हैं। चुनाव आयोग ने पारदर्शिता लाने के लिये कहा है कि चुनाव में नोमिनेशन भरने से पहले अपनी आय सम्पत्ति के बारे में ब्यौरा दें। वह सम्पत्ति की घोषणा करें ताकि उसे जनता में प्रसारित किया जा सके। क्या यह हो पा रहा है? हम चाहते हैं कि संस्थानों में चुने जाने वाले जितने जनप्रतिनिधि आये हैं, उनके प्रति जनता की आस्था बढ़े। इसके लिये जनप्रतिनिधियों को अपने आचार और व्यवहार में फर्क लाना होगा। लोगों में विश्वास पैदा करना होगा।

एक बात और कहना चाहूंगा कि राज्यों में कई क्षेत्रीय पार्टियां बन गई हैं जिसमें बाहुबली और पैसे के आधार पर चुनाव जीतकर आते हैं। वे चुनाव में पूंजी खर्च करते हैं और चुनाव के बाद उस पूंजी को निकालने की चेष्टा करते हैं। अगर चुनाव में एक करोड़ रुपया खर्च किया है तो वे 10 करोड़ रुपया वसूलने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो गलत चीजें हम लोगों की जीत का माध्यम बन गई हैं, उन पर कैसे नियंत्रण किया जाये और चुनाव खर्च कैसे कम किया जाये? हमें इन बिन्दुओं पर ध्यान देना होगा।

हमारे यहां फास्ट ट्रेक कोर्ट काम कर रही है जिसने बाहुबलियों पर कुछ हद तक अंकुश लगा रखा है। कई एमपी और एमएलए उसके शिकंजे में आ गये हैं। उन फास्ट ट्रेक कोर्ट को और किस ढंग से मजबूत किया जाये ताकि वे और अच्छा काम करें। इस दिशा में हम लोगों को सोचना होगा और उसे मजबूत करना होगा।

तीसरी बात यह है कि जनप्रतिनिधियों में आस्था बढ़े, संस्थाओं के प्रति आस्था बढ़े। बिहार में मंत्रीस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में सबसे पहले महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। इसका परिणाम यह है कि 50 प्रतिशत तो आरक्षण हुआ ही, सामान्य कोटे की सीट पर यानी गैर-आरक्षित जगहों से भी 10 प्रतिशत महिलायें चुनकर आती हैं। समाज के अन्य हिस्सों में भी यह प्रक्रिया बढ़ी है। ग्राम पंचायतों में चुनाव के माध्यम से जो खर्च कर रहे हैं जो राशि पंचायतों के द्वारा मुहैया कराकर विकास का काम करा रही हैं, उसे सरकार की विभिन्न संस्थाओं जैसा आडिट किया जाता है, उसी प्रकार ग्राम पंचायतों में भी किया जाना चाहिये। यहां भी पारदर्शिता होनी चाहिये। इससे लोगों की आस्था पंचायतों के लेखा-जोखा में बढ़ेगी।

न्यायपालिका एवं विधानमंडल में लोगों की आस्था कैसे बढ़ाई जाये। मुझे नहीं मालूम अन्य राज्यों में क्या स्थिति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तो नहीं, हाई कोर्ट के लिये कह सकता हूं कि हाई कोर्ट में आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से संसद और विधानमंडलों का लेखा-जोखा होता है उसी तरह से नियमित रूप से न्यायपालिकाओं का लेखा-जोखा होना चाहिये जिसे सार्वजनिक किया जाना चाहिये। जैसे विधायिकाओं में पीएसी के सामने रखा जाता है, उसी प्रकार यह भी होना चाहिये। इससे पारदर्शिता आयेगी।

सभापति जी, सूचना का जो अधिकार मिला हुआ है, उसके माध्यम से एक अच्छा प्रभाव पड़ा है। इसे किस प्रकार मजबूती के साथ लागू किया जाये, क्योंकि न्यायपालिका पर इसका असर नहीं है। इसका असर संसद और विधानमंडल पर हो रहा है, सरकारी एजेंसियों पर है लेकिन न्यायपालिकाओं पर लागू नहीं है। आचार संहिता कई जगहों पर लागू है और उसके चलते लोक सभा में 11 सदस्यों का निष्कासन किया गया। उसके कार्यों को भी व्यापक दायरे में लाना चाहिये। आप सब लोगों को संयमित रहना चाहिये तभी हम चुने हुए जनप्रतिनिधियों के प्रति आस्था व्यक्त करने की अपेक्षा कर सकते हैं। यह तभी संभव होगा जब अपने आप को सुधारने का काम किया जाये। हमें नियमों का पालन करना होगा, कानून हम सब के लिये बराबर है, इसलिये अपने आपको पारदर्शी बनाना होगा। व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण में हमें अपने आप को पारदर्शी बनाना होगा तभी हम चुने हुये जनप्रतिनिधियों की संस्थाओं के प्रति आस्था बढ़ सकती है।